www.abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226081
CG-DL-E-24032021-226081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943
No. 156] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

सा.का.नि. 205(अ).—केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 134 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में –

(1) नियम 3 में, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'परंतु 1 अप्रैल, 2021 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए या उसके पश्चात् प्रत्येक कंपनी जो अपनी लेखा-बहियों के रख-रखाव के लिए एकाउंटिंग साफ्टवेयर का उपयोग करती है वह केवल ऐसे एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी जिसमें प्रत्येक संव्यवहार की रिकार्डिंग लेखा-परीक्षा जांच की विशेषता हो, और ऐसे किए गए परिवर्तनों की तारीख सहित बही खातों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन के एडिट लॉग को सृजित करने की विशेषता हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखा परीक्षा सत्यापन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

www.abcaus.in

(2) नियम 8 में, उप-नियम (5) में, खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(xi) वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति सहित वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अनुसार किए गए किसी आवेदन अथवा किसी विचाराधीन कार्यवाही का ब्यौरा।

(xii) संबंधित कारणों सहित बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के दौरान एकबारगी निपटान के समय किए गए मूल्यन की राशि और किए गए मूल्यन के बीच भिन्नता का ब्यौरा।"

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल-V पार्ट III]

के.वी.आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 239(अ), तारीख 31.03.2014 के द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 60(अ), तारीख 30 जनवरी, 2020 के द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2021

G.S.R. 205(E).—In exercise of the powers conferred by section 134 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2021.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014,-

(1) in rule 3, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that for the financial year commencing on or after the 1st day of April, 2021, every company which uses accounting software for maintaining its books of account, shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of each change made in books of account along with the date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled."

(2) in rule 8, in sub-rule (5), after clause (x), the following clauses shall be inserted namely:-

"(xi) the details of application made or any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) during the year alongwith their status as at the end of the financial year.

(xii) the details of difference between amount of the valuation done at the time of one time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions along with the reasons thereof."

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 239(E), dated 31st March, 2014 and was last amended vide notification number G.S.R. 60 (E), dated the 30th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.